दिल्ती विधान सभा समाचार भाग-2

१ विधायी तथा अन्य मामले ते सम्यन्धित सायान्य जानकारी १ भूकृवार 16 तितम्बर, 1994 / 25 भारूपद, 1916 १४४०१

संख्या. 121

सदस्यों की नज़रवनदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्लीः विधान तथा को तम्योधित पुलित उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का विचांक 12-2-94 का निम्नलिखित पत्र

दिनांक 14. 9. 94 को प्राप्त डुआ :-

" श्री नरेश गौड़, विधायक की उनके अन्य सम्मिक सहित संसद मार्ग, नई दिल्ली से पुलिस के विधि सम्मत निदेशों की अवजा करने के लिये दिनांक 12.9.94 को अपराहन 12.45 दले दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत नज़रबन्द दिया गया था। श्री गौड़ को थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली से उसी दिन अथाद 12.9.94 को अपराहन 12.50 वजे रिटा कर दिया गया!"

संख्या । 22

प्राननीय अध्यक्ष, दिल्ली विद्यान समा को सम्मोधित प्रतित उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का िनांक 13. % ९५ का निम्नतिथित पत्र दिनांक 15. % ९५

को प्राप्त हुआ:-

" श्री साहित तिंह चौहान, विधायक को उनके अन्य समर्थकों सहित संसद मार्ग, नई दिल्ली से पुलित के विधि तन्मत् निहेत्रतें की अवना करने के लिये दिनांक: 13. 9. 94 को अपराह्न 12.45 बजे दिल्ली पुलित अधिन्यम, 1978 की धारा ंड के अन्तर्गत नज़रबन्द किया गया था ।

श्री चौहान को धाना शेव्य भागं, वई दिल्ली है उसी दिन अथात्। 13. 9. 94 को अपराह्न 12. 50 वजे रिहा कर दिया गया ।"

संख्याः । 23

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्मोधित अतिरिक्त पुलित अम्मुक्त नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का दिनांक 14. % ९५ का निम्नलिखित पत्र दिनांक 15. % १५ को प्राप्त हुआ :-

" श्री वलबीर तिंह, विधायक को उनके अन्य तपर्थकों सहित तंसद मार्ग, नई दिल्ली से पुलिस के विधि सम्मद् निदेशों की अवज्ञा करने व लिये दिनांक 14.9.94 को अपराह्न 12.45 वजे दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत नज़रबंद किया गया ।

श्री बलबीर सिंह को उसी स्थान उसी दिन अर्थात् १४- १- १४ को अपराह्न

12.50 बजे रिहा किया गया ।"

पी • एन • गुण्ताः सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters) Friday, September 16, 1994/Bhadra Pad 25, 1916 (Saka)

No 121

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following communication dated 12.9.1994 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 14th September, 1994 :-

"Shri Naresh Gaur, M. L.A. alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 at 12.45 P.M. on 12.9.1994 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street, New Delhi.

Shri Gaur was released at 12.50 P.M. from P.S. Parliament Street, New Delhi,

the same day i.e. 12.9.1994."

No.122

The following communication dated 13.9.1994 addressed to the Hon'ble Speaker, Dolhi Legislative Assembly, from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 15'n September, 1994 :-

"Shri Sahib Singh Chauhan, M. L. A. alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978, at 12.45 P.M. on 13.9.1994 for risobeying the lawful directions of Police from Parliament Street, New Delhi.

Shri Chauhan was released at 12.50 P.M. from P.S. Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 13.0.1994."

No.123

The following communication dated 14.9.1994 addressed to the Hon'ble Speaker, Dolhi Legislative Assembly from the Addl. Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 15.9.1994 :-

"Shri Balbir Singh, M. L. A. alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978, at 12.45 P.M. on 14.9.1994 for disobeying the lawful directions of Police from Sansad Marg, New Delhi.

Shri Balbir Singh was released at 12.50 P.M. from the same place, the same

day i.e. 14.9.1994."

P.N.GUPTA SECRETARY